

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 दिसम्बर, 2005

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/2005/ठी०डी०पी०/डी०डल्ट्य०एल०/एस०सी०ए०/2157. —पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम 41) की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त जनकियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यालय, इसके द्वारा डबवाली नियंत्रित क्षेत्र को लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप विकास योजना डबवाली के अनुबन्ध 'क' तथा 'ख' में लिए गए निर्बन्धनी तथा अर्ती राहिल हरियाणा राजपत्र में दिनांक 26 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना संख्या 8999-10-डी० पी० - 85/ 18919, दिनांक 8 अक्टूबर 1985, द्वारा घोषित डबवाली, नियंत्रित क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना प्रकाशित करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन व्ही सेथि के रौप्य दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात सरकार, प्रारूप विकास योजना पर ऐसे आपेक्षणों तथा मुकाबो सहित, यदि कोई हो, जो निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, आयोजना भवन, सैकटर 18ए, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से ऐसी योजना के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व प्राप्त हो, विचार करेगी।

द्वार्दश

1. विद्यमान भूमि उपयोग प्लान डार्फिंग संख्या ३० टी० पी० (एस० आर०) 280/ 86, दिनांक 6, फरवरी 1986.
2. प्रारूप विकास प्लान ३० टी० पी० (एस० आर०) 516/ 98ए, दिनांक 24 दिसम्बर, 2003.

अनुबन्ध 'क'

नियंत्रित क्षेत्र डबवाली के लिए प्रारूप विकास योजना 2021 ए० डी० पर व्याख्यात्मक नोट।

॥ परिचय : —

डबवाली नगर सिरसा जिला का लालील मुख्यालय है, पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है। यह नगर पंजाब एवं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र से दिल्ली - हिसार - सुलेमानस्ती (राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 10) से सड़क मार्ग द्वारा तथा बीकानेर भटिणा रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। डबवाली एक महत्वपूर्ण नगर है जो हरियाणा के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। जिला मुख्यालय सिरसा से इस की दूरी 60 किलोमीटर है। भटिणा (पंजाब) तथा हनुमानगढ़ (राजस्थान) से इस नगर की दूरी कमशः 36 तथा 70 किलोमीटर है। यह नगर उपमण्डल होने के अतिरिक्त वाणिज्य तथा व्यापार का केन्द्र भी है। यहाँ कम्णी होने के बावजूद 1966 के बाद भी इसका समुचित विकास नहीं हो पाया है क्योंकि यह नगर पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है।

ओगोलिक विधमताओं तथा तीन तरफ से अन्तर्राज्यीय सीमाओं से घिरा होने के कारण वर्तमान जाहर के दृष्टिकोण भू क्षेत्र के विकास की आशा की जा सकती है। हरियाणा के अन्दर यह नगर 'भटिणा - चौटाला मार्ग' तथा दिल्ली - हिसार - सुलेमानस्ती मार्ग के साथ - साथ अनियमित रूप से बसा हुआ है नगर के इस अव्यवस्थित कैलाव को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस नगर की विकास योजना तैयार की जाए ताकि नगर को एक योजनावादी तरीके से विकसित किया जा सके। इस उद्देश्य को मध्य नज़र रखते हुए पंजाब अनुसूचित सड़क; तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 के प्रवधानों के अन्वेषण 8 अक्टूबर 1985 को हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग राजपत्र के अध्यादेश संख्या 8999-10- पी० पी० - 85/ 18919, जो हरियाणा राजपत्र दिनांक 26 नवम्बर, 1985 को मुद्रित हुआ है के अनुरूप नगरपालिका की सीमा के प्रक्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया।

II जनसंख्या विकास:-

इस नगर वी जनसंख्या वृद्धि के रुजान को निम्न तालिका के माध्यम से उद्भूत किया जा सकता है।

वर्ष

जनसंख्या (व्यक्तियों में)

प्रतिशत वृद्धि में

1941

6655

-

1951

10380

+ 55.97

1961

15421

+ 48.60

1971

20921

+ 35.66

1981

29071

+ 38.96

1991

36197

+ 24.51

2001

53812

+ 48.66

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि 1941-51 के दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक बढ़वारे के समय पाकिस्तान से अनेक शरणार्थीयों के डबवाली नगर में बस जाने के कारण रही। तदोउपरन्त इस नगर की जनसंख्या वृद्धि में काफी रही क्योंकि इस लघु सीमात नगर के विकास को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। 1966 में हरियाणा राज्य के अस्तित्व आने के समय इस नगर को वो भागों में विभाजित कर दिया गया जिससे इस नगर का अल्प विकास भी अवश्य हो गया। राज्य की सीमा का निर्धारण ऐसे अव्यवस्थित ढंग से किया गया है कि नगर के मौजूद घर, दुकान तथा भवनों का आधा भाग हरियाणा राज्य तथा बाकी भाग पंजाब राज्य के अंदर आ गया। इसके अतिरिक्त इस नगर की जनसंख्या वृद्धि के हास का एक अन्य कारण यह भी रहा है कि इस नगर का जो भाग पंजाब राज्य के अंतर्गत विभाजित हो गया वहाँ पंजाब सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं दी गई जैसे चुंगी समाप्ति, नगर पालिका टैक्सों की शून्यता, बिकी कर में कमी, शिक्षा का समुचित प्रबंधन गई जैसे चुंगी समाप्ति, नगरपालिका टैक्सों की शून्यता, बिकी कर में कमी, शिक्षा का समुचित प्रबंधन, अच्छी नागरिक एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि। इन सुविधाओं ने लोगों को उस क्षेत्र में बाणिज्य व्यापार चलाने व उद्योग घन्टे लगाने को प्रेरित किया तथा आज भी पंजाब की तरफ के क्षेत्र में पर्याप्त है जिसके कारण सामुदायिक एवं अन्य नागरिक सुविधाएं लगभग शुरू हैं यद्यपि अब राज्य सरकार की अनेक समझौते जैसे हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास नियम, हरियाणा शहरी विकास नियम, हरियाणा झड़ी विकास प्राधिकरण, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड आदि इस क्षेत्र के हेतु आ रही है। ऐसी आशा की जाती है कि राज्य सरकार की आर्थिक योजनाओं के फलस्वरूप इन संस्थाओं की सहायता से जो विकास कार्य अब चलाए जा रहे हैं वो परिणामस्वरूप इस नगर का विस्तार अवश्येव है तथा ऐसी आशा की जाती है कि व आने वाले दो दशकों में इस नगर की विकास दर लगभग 38 प्रतिशत हो जाएगी। ताकुनुसार नगर की प्रतिशत जनसंख्या को निम्न प्रकार दर्शाया गया है :-

वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशतता
2001	53812 व्यक्ति	- - -
2011	74000 व्यक्ति	+ 38.00
2021	102120 व्यक्ति (अर्थात् 100000 व्यक्ति)	+ 38.00

उल्लेखनीय है कि इस नगर की नगरपालिका की सीमा वर्ष 1989 में बढ़ा दी गई है तथा गांव शेरगढ़ व शाव डबवाली की जनसंख्या को भी 1991 की जनगणना के आंकड़ों में, डबवाली नगर की जनसंख्या के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। नगरपालिका की बढ़ी हुई सीमा को 2003 में हीनोटीफाई कर दिया गया है। इस के अध्यनजार शहर की 2021 ईस्थी पूर्व में जनसंख्या 100000 अनुमानित की गई है। नगर के वर्तमान कुल घनत्व तथा आधुनियम सुविधाओं के प्रसार के अध्यनजार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2021 तक इस नगर का जनसंख्या घनत्व 112 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होगा तथा इस नगर का नगरीकरण हेतु 895 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। इस नगर की भौगोलिक स्थिति, वातावरण, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों जैसे उप-मंडल कार्यालय समूह निर्माण, स्टेडियम समूह निर्माण, 100 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल का निर्माण तथा दिस्ट्री-हिसार-सुलेमानस्थी रोड पर दूसरे वाटर वर्क्स का निर्माण आदि से इस नगर के विकास का जो सिलसिला चला है उस में प्रस्तावित व्यवस्थित नगर विकास योजना को सम्मिलित करना नगर के सशक्त एवं समान विकास का जारी प्रबल करने में सहायक होगा। चूंकि पुरानी नगरपालिका सीमा के अंतर्गत पर्याप्त क्षेत्र खाली पड़ा है, इसलिए अधिकतर समिक्षित एवं एकीकृत विकास इस वर्तमान नगर में ही प्रस्तावित है।

III व्यावसायिक संरचना :-

नगर की अर्थव्यवस्था में वाणिज्य, व्यापार एवं कृषि का मुख्य योगदान है। वर्ष 1981 के दौरान कुल कामगारों की संख्या का 42.73 प्रतिशत था, जिसमें कृषि 26.90 प्रतिशत सेवा (नौकरी पेशा) तथा 20.00 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र पर विभर थे। कामगार जनसंख्या अनुपात प्रत्येक दशक में बढ़ता है। यह अनुपात 1971 में 28.39 प्रतिशत था जो बढ़ कर 1981 में 30 प्रतिशत तथा वर्ष 1991 में 35.85 प्रतिशत हो गया। औद्योगिक रूप से यह नगर पिछ़ा हुआ है तथा अधिकतर उद्योग कृषि आधिकृत हैं यहाँ पर मुख्य तौर पर कपास गन्नींग तथा प्रेसिंग उद्योग, फूट प्रोसेसिंग उद्योग तथा भुजमत कार्पर्ट स्थापित हैं। यहाँ पर व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर्गत सुन्दर स्वामान्व, कामगार, तथा तेल बीज आदि का थोक व्यापार किया जाता है। चौटाला सड़क पर अनाज विपणन केन्द्र की स्थापना के बाद तो इस व्यापार का और भी संबद्ध हुआ है लेकिन खुदरा व्यापार शहर के बीच पतली व भीड़ भरी गलियों में ही होता है। खुदरा व्यापार के सम्बित विकास के लिए शहर के बहर उचित प्रबंध अपेक्षित है।

IV जल वितरण एवं मल निकास:-

भू-जल स्तर ठोने के कारण जहाँ जमीन के नीचे का पेय जल की कमी है वर्तमान जल वितरण नहरों पर ही निर्भर करता है। डब्बावाली गांव के समीप दस हैक्टेएकर भूमि में एक जल धर का निर्माण किया गया है जिसकी भंडारण क्षमता 227300 लीटर है। पंजाब राज्य की सीमा के साथ खाल भंडारिंग वितरण के समीप 8 हैक्टेएकर में एक अन्य जल धर स्थित है। जो इस पुराने एवं नए नगर की आवासीय जाबादी की जल आवश्यकताओं की प्रतिपुर्ति करता है। इन दोनों जल धरों की अपवाह जल शक्ति 17.50 करोड़ लीटर है तथा साफ ताजा पानी की क्षमता 14.31 लाख लीटर है जिसे ऊब बढ़ा कर 17.62 लाख लीटर कर दिया गया है। दोनों जल धरों की ओर ऊब हैड जल भंडारण क्षमता 4.5 लाख लीटर है। वर्तमान जल वितरण प्रणाली शहर की पानी की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है। वर्तमान वितरण प्रणाली नगर की जल आवश्यकता के 70 प्रतिशत की ही पूर्ति कर पाती है। वर्तमान उपलब्ध प्रति व्यक्ति जल वितरण 95.46 लीटर प्रति दिन है जिसे ऊब बढ़ा कर 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन कर दिया गया है साथा अनुगमित जनसंख्या के लिए इसे और अधिक बढ़ाया जाना है। आगे आने वाले समय में इस जल वितरण की जाता में भी नगर का लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र ही जल निकास प्रणाली से लाभान्वित हो पाया है। वर्तमान विकास घर का (क्षेत्र) पंजाब राज्य के क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए अन्य निकास प्लांट, पुनर्निर्धारित नाले के समीप बनाया जाना प्रस्तावित है। यह स्टांट 4 हैक्टेएकर क्षेत्र में बनाया जाना है।

V सामुदायिक सुविधाएँ :-

एक राजकीय भविता भवानी भवानीयालय, चार उच्चतर आधिकारिक/हाई स्कूल, एक शैक्षणिक भवानीयालय, एक लोकेशनल एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार उच्चतर आधिकारिक/हाई स्कूल व एक जिले स्कूल, पठले से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 15 आन्यता प्राप्त डाई स्कूल पांच निवाले स्कूल निजी सैक्टर में हैं किंतु यहाँ लड़कियों के लिए कोई सिनियर सैकंडरी स्कूल नहीं है इसके अतिरिक्त लड़कों आठ प्राइवेट स्कूल पहले से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त घांटा आन्यता प्राप्त डाई स्कूल पांच निजी सैक्टर में हैं। किन्तु यहाँ लड़कियों के लिए कोई सीनोर सैकंडरी स्कूल नहीं है। इसके अतिरिक्त लड़कों के लिए कोई डिग्री कालेज नहीं है। यहाँ के छाव उच्च शिक्षा के लिए किलोयांवाली (पंजाब) में निर्वित डिग्री कालेज में शिक्षा ग्रहण करने को बाध्य हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का संबंध है 30 विस्तरी वाला सामुदायिक स्वास्थ्य लोड़ यहाँ उपलब्ध है तथा लगभग 20 अच्छे प्राइवेट नारीं प्राप्त यहाँ रह रहे हैं। एक 100 बिस्तरी वाला निवाले अस्पताल भी दो एकड़ से जावा क्षेत्र पर बनाया गया है जो नगर तथा इसके दोनों वांछित व्यवस्था अवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त है। इसके अलावा नगर में दो सिनेमा हाल, पांच क्लब, एक लाइब्रेरी में पाठन कक्ष उपलब्ध है तथा लागों के फ्लोरिंजन के लिए तीन लघु पार्क भी नगर में उपलब्ध हैं। लगभग 4.85 हैक्टेएकर भूमि में एक स्टेडियम भी निर्माणाधीन है।

प्रस्ताव
विभेन भूमि उपयोगों का विस्तार निम्नलिखित पर आधारित है :-

- (i) वर्तमान भूमि प्रयोग कुल जनसंख्या धनत्व उपलब्ध सुविधाओं तथा वर्ष 2021 तथा सम्भावित सुविधाओं को ध्यान देने के लिए विभेन भूमि को नियमित रूप से विभेन भूमि की व्यवस्था रखा गई।

नियन्त्रित क्षेत्र के पास से युजरने वाली सभी अनुसूचित सड़कों के साथ 46 भीटर चौड़ी छारित पट्टी तथा भग्न पालिका सीधा के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 60 भीटर हारित पट्टी की व्यवस्था रखा गई।

- (2) अन्य सड़कों की चौड़ाई तथा सरेखण सैक्टर योजना के अनुसार या आलोनियों की अनुसूचित अधेनियम अनुसार योजना के अनुसार होनी।

IX. औद्योगिक अननुसूचित उपयोग:-

विकास योजना में औद्योगिक जोन से अन्न जोन में दिखाये गये वर्तमान उपयोगों के संबंध में नियन्त्रित या नियांरित की जाने वाली नियत अवधि के लिए औद्योगिक अननुसूचित उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जिसके अन्तर्गत इस वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। इसके अन्तर्गत उपयोग स्थानों -

- (क) उस स्थल को नियंत्रक द्वारा नियांरित वाहन विकास के लिए नियांरित अनुपायिक प्रभारों को देने वाले वर्ष देना है जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जायेगा; और
(ख) अन्तिरिक्त अवधि के दौरान नियंत्रक की संतुष्टि के अनुसार मल निकास के लिए संतोषजनक व्यावस्था करें।
(ग) अननुसूचित उपयोग के क्षेत्र में किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं होनी।

X. अननुसूचित उपयोग बन्द करना :-

- (1) यदि किसी भूमि का अननुसूचित उपयोग वी वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार गया रहा है तो उसे समाप्त हुआ सप्तश्च जायेगा और अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनरुपयोग या पुनर्विकास की अनुमति दी जायेगी।

(ii) नगर की अर्थ व्यवस्था में वाणिज्य एवं व्यापार मुख्य भूमी कर अदा करते रहेगे। इस क्षेत्र में कामगार जनसंख्या का अनुपात 40 प्रतिशत 12500 कामगार अनुमानित है।

(iii) ऐसा अनुमान है कि औद्योगिक क्षेत्र का भी संशुचित विकास होगा तथा वर्तमान स्थिति में सुधार होगा। ऐसा अनुमान है कि कुल कामगार संख्या का 30 प्रतिशत इस क्षेत्र में कार्यरत होंगे तथा लगभग 9360 कामगार घरेलू उद्योगों में कार्यरत महिला कामकारों को यिला कर इन क्षेत्र से अपना रोजगार प्राप्त करेंगे।

(iv) औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का अनुनाम 30 प्रतिशत घरेलू उद्योग धन्यों में कार्यरत रहेंगे। पंजाबी जूली निर्माण एक महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग बन जाएगा। वाकी 70 प्रतिशत कामगार अनेक उद्योग धन्यों में कार्यरत रहेंगे जिस के लिए पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्र का प्रबंध कर दिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 60 कामगार प्रति हैक्टेयर के आपदण्ड अपनाते हुए पहले से ही प्रबंध किया गया है।

(v) यह मानते हुए कि लघु उद्योग धन्यों तथा कुटीर धन्यों (घरेलू इकाइयों के अस्तिरिक्त) स्वादी ग्रामोदय क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे तथा कुल औद्योगिक कामगारों का कम से कम 60 प्रतिशत नियाजित करेंगे। लघु बाहन पुनर्निर्माण तथा पुर्नएकत्रिकरण तथा दैलीग कार्य को वर्तमान में कल पूल रहा है, भविष्य में और अधिक विवासित होगा जो इस शहर में पहले ही दृढ़ रूप से स्थापित है।

(vi) आवासीय सैकटरों क्षेत्रों का धनत्व 150-250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होने की सम्भावना है जिसका औसत धनत्व 212 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर हो जाएगा।

(vii) वर्तमान तथा प्रस्तावित शहरीकरण प्रक्षेत्र नगरपालिका हृदू (सीमा) तथा नियन्त्रित क्षेत्र के अंतर्गत ही रहेगा।

(viii) हालांकि यह नगर दो राज्यों के अंतर्गत पड़ता है प्रत्येक की अपनी विकास प्रार्थनिकताएं हैं लेकिन संपूर्ण विकास योजनाओं के उद्देश्यों से इसके संयुक्त अस्तित्व को मान्यता देनी होगी अतः ऐसे प्रयास किए गए हैं जिससे इस नगर के दोनों भागों की प्रस्तावित योजनाओं को समन्वित किया जा सके। यदि पंजाब सरकार के द्वारा भी इसी को अनुरूप विकास प्रस्तावों का कियान्वनकिया जाए तो नियन्त्रित रूप से संपूर्ण क्षेत्र लाभान्वित होगा। हालांकि ऐसे प्रयास किए गए हैं कि अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले नगर क्षेत्र के लिए विकास प्रस्ताव यथासम्भव स्वयं में पर्याप्त हैं।

(VI) प्रस्तावित भू-उपयोग:-

विकास योजना के अंतर्गत 895 हैक्टेयर भूमी के प्रयोग का प्रस्ताव है जो नगर पालिका की सीमा तथा इसके बाहर नियन्त्रित क्षेत्र के अंदर ही होगा। प्रस्तावित भू उपयोग का विस्तार से वर्गीकरण निम्नान्कित सारणी में दिया गया है:-

मुख्य कोड	भू-प्रयोग	मौजूद क्षेत्र जो नगरपालिका की नगरपालिका की सीमा के अंदर व बाहर प्रस्तावित क्षेत्र में पर्याप्त है	कुल प्रक्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
100	आवासीय	105.00	366.00	471.00 52.63
200	वाणिज्यिक	27.00	62.00	89.00 9.94
300	औद्योगिक	25.00	85.00	110.00 12.29
400	परिवहन एवं संचार	18.00	66.00	84.00 9.39
500	जन उपयोग	11.00	9.00	20.00 2.23
600	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी	12.00	70.00	82.00 9.16
700	पार्क एवं खुला क्षेत्र	3.00	36.00	39.00 4.36
कुल		201.00	694.00	895.00 100.00

1. **आवासीय:-**
लगभग 471 हैंडटेयर भूमि आवासीय क्षेत्र 212 व्यक्तिस प्रति हैंडटेयर वजन घनस्तुत्व को रख में प्रस्तावित हैं। आवासीय क्षेत्र जो 2021 में अस्तविल नम्बरीया भूमि का लगभग 52.61 प्रतिशत है। इस क्षेत्र को कई सैकटरों में विभाजित किया जाया है तथा इन सैकटरों का जनसंख्या घनस्तुत्व 150-250 व्यक्तिस प्रति हैंडटेयर रखने की सम्भाग्या है। इस क्षेत्र में आवासीय डेन्ट्रो सैकटर नम्बर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14 तथा 15 कोटे जाना निर्धारित किया गया है जो अप्र० 2021 तक इन सैकटरों में परियांजित जनसंख्या को बढ़ावा देंगे।

2. **बाणिज्यिक:-**
बाणिज्यिक रूप से एक व्यापार बाणिज्यिक पर आधारित नगर है। अधिकांश चुनौता व्यापार पुणे क्षेत्र की पसली झांकरी गांवों में होता है। दाल्कालीन उपनिवेशवाल विभाग छांडा चौटाला गांव पर 7.5 हैंडटेयर में फैली अनाज भण्डी और निर्माण कारबायाय गया था। उद्योग सैकटर - 10 में 26 हैंडटेयर भूमि गहर के केंद्र के रूप में निर्धारित की गई है तथा इस नगर के सभी भागों से जोड़ा जायगा। सुलभी अण्डी जो नगर के अद्य भीष्मी शूकरी भाव में लगाई जाती है। इसी प्रकार लकड़ी अण्डी भी इधर-उधर खौली तुड़ी है। ऐसा प्रस्ताव है कि सुलभी अण्डी लाला लकड़ी अण्डी नगर के बाहर स्थापित की जाएगी। इन दोनों अण्डीयों के लिए सैकटर 5 में 14 हैंडटेयर भूमि निर्धारित की गई है। इस भूमि में वर्तमान अनाज भण्डी भी होगी, जिसका विस्तार अल अपरिकारी भी गया है। आवी आवश्यकताओं को अद्य नजर रखते हुए सैकटर 14 में, 12 हैंडटेयर भूमि दिल्ली - डिल्ला सुलेमानस्थी रोड के साथ निर्धारित की गई है जो शोक व्यापार अण्डारण तथा वैश्वानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करेगी।

3. **औद्योगिक:-**
इस नगर में कृषि आधारित उद्योग धन्यों लौसे काशास विनियोग तथा प्रैसिंग, तेल चिन, आटा चिन आदि की उपचार सम्भावनाएं हैं। विरसा जनपद के औद्योगिक रूप से रिलड़ा दिल्ला चौटाला किया जा चुका है जिस से नई सुविधाएं नए उद्योग धन्यों के विकास को प्रेरित करेंगी। औद्योगिक हेत्र विकास भी अपार सम्भावनाओं को बेस्ताते हुए सैकटर - 13 में 65 हैंडटेयर भूमि निर्धारित की गई है। यह भूमि भारी औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

4. **परिवहन एवं संचार:-**

(i) **रेलवे स्टेशन**

रेलवे स्टेशन लगभग 15 हैंडटेयर भूमि में फैला हुआ है, जिसमें दो प्लेटफार्म करने हुए हैं। अपने कर्बजारियों के लिए 100 आवासीय क्ष्वाटर में लगभग 200 व्यक्तियों की व्यवस्था है। यात्रियों के लिए प्रतिक्रिया हानि, आराम घर, फौजावार चाव रस्ताल, चुत्तक रस्ताल आदि जो भारी भूमि उपलब्ध हैं। पर यात्रियों के लिए ओवर क्रिक भी सुनिधा भी स्टेशन की सुनीप हो उपलब्ध है।

(ii) **बस अड्डा -** नगर में लगभग 2 हैंडटेयर खेत पर एक बस बस अड्डा बना है इन्हें जो अन्वेषण एक कार्यालय का नियंत्रण जाओल है नगर जी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में यह पर्याप्त है। इस बस अड्डे को आवी विस्तार के लिए आव्याय नगर सैकटर - 10 में भू देवत आवासित किया गया है।

(iii) **मुख्य सड़क प्रणाली -** शहर से विषयक से जले वर्तमान मुख्य सड़के टेढ़ी भेड़ी हैं इन सड़कों को सीधा करते हुए एक अच्छी सड़क आवी व्यवस्था तैयार करना सुनिश्चित किया गया है। प्रस्तविल सभी सड़कों नगर के सभी हिस्सों से गुजारती हुई दिल्ली- डिल्लर - सुलेमानस्थी (राष्ट्रीय राज भारी लंखा 10) तथा भट्टिया चौटाला भारी घर नियित दूरी पर मिलेगी जिससे परिवहन व्यवस्था अति सुरक्षित तथा नुस्खा बन जाएगी। राष्ट्रीय राज भारी नम्बर 10 पर परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए रेलवे लाइन पर एक उपरकी मुल के नियोग कर भी प्रश्नावाद है।

विभिन्न भारी के लिए नियांरित चौड़ाई नीचे दी गई है :-

वी- 1	पेशापोरी रोड	60 मीटर
वी- 1- ए	दिल्ली - डिल्लर - सुलेमानस्थी रोड (राष्ट्रीय राज भारी लंखा 10)	नगर चालिका सीमा में वर्तमान चौड़ाई
वी- 1- बी	भट्टिया चौटाला रोड	नगर चालिका सीमा में वर्तमान चौड़ाई
वी- 2	मुख्य नगरीय सड़कों	45 मीटर
वी- 3	सैकटरों की सड़कों	30 मीटर

वर्तमान में नगर में एक टक स्टैण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है, अतः सैकटर नम्बर 6 में लगभग 4 हैक्टर भूमि इस प्रयोजन के लिए निश्चिरित किया गया है। इसी प्रकार आटो जार्किट तथा आटो रिपेयरिंग की दुकानें मुख्य मार्गों के साथ साथ बनी हुई हैं इससे न केवल नगर की जीवन बदल होती है बल्कि परिवहन व्यवस्था भी अवधार होती है तथा पैदल यात्रियों के लिए असुविधा होती है। इस समस्या के समाधान के लिए लगभग 6 हैक्टर भूमि का निश्चिरण किया गया है, जहां पर आटो जार्किट नगर के बाहर स्थानान्तरित दरी जाएगी।

5. जन उपयोगिताएं - जन उपयोगिता के लिए लगभग 15 हैक्टेयर क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। इस क्षेत्र में वर्तमान बूसटिंग स्टेशन का क्षेत्र 0.43 है। जलधर या क्षेत्र 9 हैक्टेयर तथा उप-प्रिड, उप-स्टेशन (132 को 10 वी) का क्षेत्र 1.57 हैक्टेयर हैं, जो दिल्ली - हिलार - सुनोगांवनखी रोड पर (राष्ट्रीय गति भार्या नो 10) पर स्थित है भी इसी निर्धारित क्षेत्र में सम्बिलित है। लगभग 9 हैक्टेयर अधिक जो अलीका रोड तथा लिलाय नाला पर स्थित है जन गिकास संघ सोलिड वेस्ट भार्या के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्तमान जलधर, प्रिड - सब स्टेशन तथा निपटान कार्य के क्षेत्र आगीज आंचल में पड़े जिन्हें भावी आवश्यकताओं के जनरल विकासित किया जा सकता है।

6. सरकारी तथा अर्ह सरकारी कार्यालय - वर्सेन्ट्रल सभी कार्यालय नगर की भीड़ के केन्द्रीय भाग चाले द्वारा स्थित हैं। इन कार्यालयों के उद्दिष्ट सम्बन्ध तथा सुचाल रूप से कार्य परने के लिए यह आवश्यक है कि इन सभी कार्यालयों द्वारा उददेश्य से निर्धारित की गई भूमि पर स्थानांतरित किया जावे। लगातारी वर्षों टाउनशिप के मास्टर प्लान में प्रजासत्रिक कम्पलेक्स हेनु सैक्टर 5 में लगभग 7 हैक्टेयर भूमि विशेष रूप से आरक्षित की गई हैं। यहाँ ऐक्षणिक संस्थाएं पुराने नगर में ही केन्द्रीत हैं तथा इनका द्वारा भी अपराधित हैं। खिलाड़ अस्पताल यह भवन भी अंतिम लार्जर स्थिति में था तथा 1.5 हैक्टेयर का जबीन स्थल यह अस्पताल करने के लाक आवश्यकता पूरी की जाए। यहाँ भवन का निर्माण पहले ही चुका है, जिससे सिविल अस्पताल की दफ्तरीय स्थिति वह सहज समाधान हो गया है। सैक्टर 8 में लगभग 5.7 हैक्टेयर द्वारा नगरीय तथा द्वेषीय स्तर की ऐक्षणिक निकित्सा तथा अन्य जन सुविधाओं के लिए सुरक्षित तर्फी गई हैं। प्रयोगी स्तर की सुविधाएं अलग से प्रस्ताव सैक्टर में उपलब्ध करवाई जाएंगी।

7. पार्क तथा खुला द्वेष - नगर में पापके तथा अन्योरजनक के कारण में अन्य स्थलों का सर्वशः अभाव है। पार्क के नाम पर नगर में तीन छोटे - छोटे अव्यवस्थित हैं खुले द्वेषान हैं साथ में बगड़ाना घाट स्थित है। नगर की आंग पूरा करने के लिए सैक्टर 9 में लगभग 36 हैंकटर फ्लैट को आमोद प्रगोद द्वेष खेल के नैदान, नगर स्तर पार्क के लिए प्रस्तावित हैं। इन सब के अतिरिक्त प्रत्येक सैक्टर में अपना एक पार्क भी होशा।

8. कृषि आंचल - कृषि आंचल के लिए पर्याप्त क्षेत्र आवश्यक रखा जाया है। वह आंचल सभी क्षेत्र में पहने वाले आवश्यक भवनों तथा अन्न देने जैसे बर्ताव जांच उनके साथ लगती जाकरी देह की भूमि जो सरकार द्वारा अन्मोहित या प्रबंधित तथा ग्रोजैक्ट तथा इस कृषि हानि के अनुरक्षण तथा सुचार के लिए जावश्यक अन्य सहायता सम्बन्ध दुविधाओं को चिल्पि नार्ति करेगा।

9. विकास योजना का कागदानीकारण :- विकास योजना वर्ष 2021 तक के लिए तैयार बड़ी गई हैं इस अधिकारी को सभी भागों में बांटा गया हैं जो वर्ष 2005, 2011 तथा 2021 तक गठित होता। प्रथम फोज (भाग) में आवश्यक प्रयोजन के लिए सैकटर-2, 4 तथा 11 तथा साथ ही व्यवसायिक सैकटर-10 तथा 14 भी योक लक्ष्य खुद विकासित किए जाएंगे का प्रस्ताव है। सरकारी सभा अहं सरकारी भवनों वा आवासकलालों में सैकटर-8 के अपेहित भाग के विकास द्वारा पूरी की जाएंगी। द्वितीय फोज में आवश्यक सैकटर-6, 9 तथा 12 विकासित किए जाएंगे तथा शावी दिवाली का पूर्व जांकलन करते हुए सैकटर-10, 12 तथा 8 की अतिरिक्त भूमि योक भी विकासित किया जाएगा। बावजूद की विकास योजनाओं को तृतीय फोज वर्ष तृतीय फोज वर्ष 2011 तथा 2021 में पूरा किया जाएगा। तृतीय फोज के दौरान विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन किया जायेगा।

जोनिंग विनियम - भूमि उपयोग के सम्बन्ध में प्रत्याक की कानूनी अनलों जारी पहनाने के लिए जोनिंग विनियमों का नियन्त्रण किया जाया है ये जोनिंग विनियम अनुकूलता की दो विकास से दो गांवों के विकास योजना के प्रारूप का एक का आग हैं। विनियम भूमि प्रयोग में परिवर्तन तथा विकास नामकों का नियन्त्रित करेंगी जो विभिन्न मुख्य भूमि प्रयोगों के अन्वयन कौन से भू प्रयोग मुख्य होंगे तथा कौन से भू प्रयोग सहायक होंगे तथा इस प्रति कि भूमि प्रयोग के सभी परिवर्तन तथा विकास के लिए प्रत्येक सैकटर में विस्तृत रूप में वर्णाएं गए आर्थिक के अनुसार होंगे तथा उनके द्वारा उचित रूप से नियन्त्रित होंगे जो कि प्रत्येक सैकटर के लिए विस्तृत सैकटर योजनाओं के विकास के मार्गदर्शन तथा उचित नियन्त्रण तथा करने की तैयारी को सुनिश्चित करेंगे।

अनुबन्ध ख

ज्ञानवत्तम विनियम

डबवाली नियंत्रित क्षेत्र में उपयोग एवं प्रारूप विकास योजना ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एस. आर.) 516/98-ए दिनांक 24 दिसंबर, 2003) में दर्शाए अनुसार।

I सामान्य

- 1) डबवाली के इर्द-गिर्द के नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना का आग्रह रूप बने इन अंचल विनियमों को डबवाली नियंत्रित क्षेत्र के लिए विकास योजना का अंचल विनियम कहा जाएगा।
- 2) ये विनियम विकास योजना में शामिल संपूर्ण क्षेत्र के लिए होंगे और पंजाब अनुसूचित सड़कों तक नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), और उसके अधीन बनवाये गये नियमों की आवश्यकता के अतिरिक्त होंगे।

II परिभाषाय

इन विनियमों में -

- (क) “अनुमोदित” से अभिप्राय है नियमों के अधीन अनुमोदित;
- (ख) “भवन नियमों” से अभिप्राय है, नियमों के भाग-VII में अन्तर्विष्ट नियम;
- (ग) “ड्राईंग” से अभिप्राय है, ड्राईंग संख्या डी.टी.पी. (एस. आर.) 516/98-ए दिनांक 24 दिसंबर, 2003
- (घ) “कर्ष क्षेत्र अनुपात (फ०३०अनु०)” से अभिप्राय है, जिसकी भवन की सभी मणिलों के कुल पर्याप्त और स्कल के कुल क्षेत्र के बीच प्रतिशतता में अधिव्यक्त किया गया अनुपात;
- (ङ.) “वर्ग आवास” से अभिप्राय है, रिहायशी प्रयोजन के लिए कलैट के स्वरूप में डिजाइन किये गये भवन या किसी अनुषंगी सम्बद्ध भवन होंगे, जिसमें सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सुविधाओं और जन उपयोगिताएँ शामिल हैं, जो निवेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा स्थार नियरित और अनुमोदित हों;
- (च) “हल्के उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसे उद्योग जिसके कारण डानिकारक या आपलिजनक शोर, दुर्गति, गैस, वैपि या गंध घूल, मलनिःस्वाव और अन्य अत्यधिक डिग्री का प्रदूषण न हो और विजली द्वारा चालित हो;
- (छ) “स्थानीय सेवा उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जिसका विनिर्भृत मात्र और उत्पादन ग्राम: स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस्तेमाल किया जाता हो, उदाहरणार्थ बैकरियां, आईकलीम, विनिर्माण, वाटित जल, फार्माची से चलने वाली आटे की चकिर्या, लौट्री, ड्राईकलीनिंग और रंगाई, रखालित गाड़ियाँ, स्कूटर तथा साईकल और मुरम्हत तथा सर्विस, घरेलू बर्टनों की सुरक्षा, जूते बनाना और उनकी सुरक्षा, ईंधन डिपो आदि बाजारों के उन हारा किसी ठोस इंधन का प्रयोग न किया जाता है;
- (ज) “स्थानीय उद्योग” से अभिप्राय है, हल्के उद्योग तथा स्थानीय सेवा उद्योग के अलावा सभी उद्योग और जो झलनाल के गंध तथा दुर्गति न फैलाते हों;
- (झ) “व्यापक उद्योग” से अभिप्राय है, ऐसा उद्योग जो सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाये और जो व्यापक हो, जिसमें 100 से अधिक कामगार नियुक्त हों, जिसमें किसी प्रकार की ईंधन चालित शक्ति का प्रयोग किया जाये वहाँ कि इसमें किसी प्रकार से हानिकारक तत्व न हो;
- (ञ) “आरी उद्योग” से अभिप्राय है, सरकार की अनुमति से सरकारी या अर्थसरकारी या निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया उद्योग (ज्लांट मशीनरी इलादि की लागत जैसे कि सरकार की उद्योग नीति में परिसाधित हो);
- (ट) “हानिकारक या झलनालक उद्योग” से अभिप्राय है सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया उद्योग और जिसमें अत्यधिक पूजी लगी हो। जिसमें अत्यधिक घूआ, शोर, रपन्दन, दुर्गति, अग्नि या हवानिकारक ग्रामनिःस्वाव, विस्फोटक, झलनशील सामग्री इत्यादि और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अन्य इत्यादि तत्व शामिल हों;
- (ठ) “वासाविक तिथि” से अभिप्राय है नीचे घोषित नियंत्रित क्षेत्र की अधिसूचना के प्रकाशन की स्थिति

ऋग नियंत्रित क्षेत्र का नाम तथा अधिसूचना
संख्या संख्या

वास्तविक तिथि

1. हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम 26 नवम्बर, 1985
आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या
8999-10 डी. पी. -85/18919, दिनांक
8 अक्टूबर 1985, दिनांक 26 नवम्बर,
1985, द्वारा अनुसूचित
- (ङ) नियंत्रित क्षेत्र में किसी भूमि अवास भूमि के संबंध में “अनुसूचित उपयोग” से अभिप्राय है, देसी घूमि अवास भवन का वर्तमान उपयोग जो विकास योजना में क्षेत्र के उभ भाग के लिए निर्विष्ट मुख्य भूमि उपयोग के विवरीत हो;
- (झ) “लोक उपयोगिता सेवा भवन” से अभिप्राय है, ऐसा भवन जो लोक उपयोगी सेवाओं के लिए उपेक्षित हो, जैसा जल सलाई, जल निकास, विजली, डाक तथा तार एवं परिवहन तथा दमकल केन्द्र सहित कोई नारागालिका सेवा;
- (ण) “नियमों” से अभिप्राय है, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्भृत नियम, 1965;

- (त) “सैक्टर सघनता और कालोनी सघनता” से अभिप्राय है उस सैक्टर क्षेत्र कमा कोलोनी क्षेत्र में जैसी भी विवरित हो, प्रति हैवटेयर व्यक्तियों की संख्या;
- (थ) “सैक्टर क्षेत्र आवश्य कालोनी क्षेत्र” से अभिप्राय है, सैक्टर या कालोनी का क्षेत्र जोकि आनंदित पर दिखाये अनुसार मुख्य सड़क प्रणाली से प्रतिक्रिया हो;

व्याख्या

- (१) सैक्टर और कालोनी के मामते में कालोनी के अनुमोदित अधिकारियां योजना पर कालोनी का क्षेत्रपाल हस्ते रैक्टर के बारे और मुख्य सड़कों के अन्तर्गत अन्ने वाली 50 प्रतिशत भूमि शामिल है और मुख्य सड़क प्रणाली के अन्तर्गत जाने वाली भूमि तथा सैक्टर या कालोनी में, जैसी भी स्थिति हो, गान विकास के लिए अनुप्रयुक्त क्षेत्र शामिल नहीं है।
- (२) “सैक्टर सघनता” या “कालोनी सघनता” की गणना के प्रयोजनार्थ यह परिकलिप्त होता कि सैक्टर क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र या कालोनी क्षेत्र का 55 प्रतिशत रिहायशी लाठी के लिए उपलब्ध होगा जिसमें वर्ग आवास के अन्तर्गत अन्ने वाला क्षेत्र शामिल होगा और प्रत्येक घरन प्लाट में औसतन तीन आवासीय इकाइयाँ होनी अवश्य प्रत्येक हकाई 4.5 व्यक्ति की जनसंख्या से प्रत्येक प्रवर्ग लाठ में 13.5 व्यक्ति हैं जिनमें अवश्य दुकान एवं रिहायशी लाठ के मामते में केवल एक आवासीय इकाई की परिकल्पना की जायेगी।
- (३) “स्थल आचारन” से अभिप्राय है, भूतल पर नियमित क्षेत्र और स्थल के बीच प्रतिशतता डाग दर्शायी गया अनुपात;
- (४) “अधिनियम”, “कालोनी”, “उप-निवेशक”, “विकास योजना”, “सैक्टर” और “सैक्टर योकान” शब्दों का वही अर्थ होगा जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियमित क्षेत्र अनियमित विकास नियन्त्रण अधिनियम 1963 (1963 वर्ष के अधिनियम 41) और पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियमित क्षेत्र अनियमित विकास नियन्त्रण नियम, 1965 में उनको दिया गया है;
- (५) “फार्म गृह” से अभिप्राय है, किसी फार्म के स्वामी द्वारा अपनी भूमि पर लिम्लिश्टिल प्रयोजन के लिए निर्भित घर है-
- (i) निवास यूनिट आर्थात् मुख्य उपयोग; तथा
 - (ii) फार्म आयामान अर्थात् गैण उपयोग।
- टिप्पणी (१) फार्म गृह का निर्माण “ग्रामीण / कृषि अंचल में आवादी से बाहर कार्ब गुहों की व्यवस्था” संबंधी छाड़ के अधीन दिये गये प्रतिबन्ध शामिल होता;
- (२) फार्म गृह, “अद्वन नियन्त्रण और स्थल विशिष्टियों” संबंधी खांड में निर्दित प्रतिकल्पने हाते शामिल होते।
- (६) “टांड या पुक्षतावान” से अभिप्राय है, स्वयं करने के अन्दर खाम्हे के अतिरिक्त किसी भी लकड़ से आदृत एक जाने जैसा उमार, किन्तु जिसका उभार एक मीटर से अधिक चौड़ा न हो;
- (७) “अटारी” से अभिप्राय है, सामान्य फर्श से ऊपर अधिकतम 1.5 मीटर की लैंडाई ढलुआ हर में बैंध बढ़े स्थान पर भव्यवर्ती फर्श, जो बड़ाल प्रयोजन हेतु निर्मित करवाई जाती है अथवा अपना ली जाती है;
- (८) “परछली लत” का अभिप्राय है, भूतल के ऊपर मध्यवर्ती लत जिसमें परष्टती उस लत के दोनों कों 1/3 तक सीमित होती है तथा जिसमें भूमि की सतह से ऊपर कम से कम 2.2 मीटर ऊँचाई हो;
- (९) “कृषि उपयोग साधन” से अभिप्राय होगा, ऐसा विकास तथा नियन्त्रित किया जाना जाता है जो कृषि संबंधी कारों को करने में सहायक रूप में अपेक्षित है, जैसे कि नलकूप, पम्प, धैवर, वायु चक्रकी, सिंचाई, नाले, पानी सेटपार्म, बादल लगाना तथा चारबीवारी बनाना, जल नलके आदि;
- (१०) “ग्रामीण उद्योग स्कीम” से अभिप्राय है, ऐसी औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण उद्योग नियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो;
- (११) “लघु उद्योग” से अभिप्राय है, एक ऐसा औद्योगिक इकाई जो उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग के रूप में गंभीरित हो;
- (१२) “कृषि आधारित उद्योग” से अभिप्राय है, एक ऐसी औद्योगिक यूनिट, जो खाद्यान्न, फलों या फूलों वाली कृषि वा उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है;
- (१३) अन्य शब्दों का वही अर्थ होगा, जो पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियमित क्षेत्र अनियमित विकास नियन्त्रण अधिनियम, 1963 एवं नियम, 1965 में है;
- (१४) “सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाई” अर्थात् हरियाणा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 के अनुबन्ध में शामिल उद्योगों की श्रेणी तथा इस अदिसूचना के अनुबन्ध-1 में तथा अथवा जो हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर परिचालित किया जाये;
- (१५) “सार्वजनिक पार्क/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क” अर्थात् वह क्षेत्र जो अनन्य साफ्टवेर विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप एवं सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं के लिए विकसित हो, इसमें किसी भी प्रवार के उत्पादन (असैम्बलिंग क्रियाकलापों सहित) की अनुसंधि प्रदान नहीं की जाएगी।

(य ड.) "साईबर सिटी" अर्थात परिपूर्ण शहर जिसमें मूलभूत ढांचा अति उच्चतम मुष्ठिता का हो, अत्यधिक परिस्थिति तथा अति गति की संचार प्रणाली के पहुंच साफटवेयर कम्पनियाँ / सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवाओं की कम्पनियाँ अवृत्ति हों जिसमें उत्पादन करने वाली ईकाईयों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

111 मुख्य भूमि उपयोग/अंचल:-

- (i) रिडायरी अंचल
- (ii) वाणिज्यिक अंचल
- (iii) औद्योगिक अंचल
- (iv) परिवहन तथा संचार अंचल
- (v) जनउपयोगिता अंचल
- (vi) सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक अंचल संस्थागत अंचल
- (vii) खुले स्थान
- (viii) कृषि अंचल

मुख्य भूमि उपयोग का वर्गीकरण परिशिष्ट के अनुसार है।

IV. सैकटरों में विभाजन:-

उपर्युक्त अंचल विभिन्नता-III में क्रमांक संख्या - (i) से (viii) पर वर्णित मुख्य भूमि उपयोग, जो अवृत्त विभाजित भूमि की हुई है, उन्हें दर्शाये अनुसार सैकटरों में विभाजित किया गया है, इन सैकटरों की मुख्य सड़कों के सारकार द्वारा हड्डबन्डी जौड़े गये हैं।

V. मुख्य उपयोगों में भूमि उपयोग संबंधी जौड़े:-

मुख्य, सहायक एवं गैरि उपयोग के लिए इन विभिन्नों / नियमों को अन्य उपयोगों के अन्तर्गत संबंधित मुख्य भूमि जौड़े गये हैं।

VI. विकास के लिए अपूर्ण विवरित सैकटर :-

विभिन्न सैकटरों में अवृत्त प्रयोजनों संबंधित भूमि उपयोग के लिए आरक्षण होने पर भी निवेशक, विभिन्न झेव के सघन तथा आर्थिक विकास के दृष्टिगत किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए अथवा उस पर किसी भवन के निर्माण के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक जल सलाई, जल मल विकास व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें, इन सैकटरों में, उसकी तसल्ली तक सुनिश्चित रूप में उपलब्ध नहीं हो जाती।

VII. सरकारी उद्योगों के साध्यम से विकसित किये जाने वाले सैकटर:-

- (1) वाणिज्यिक जौन तथा अर्थ-सार्वजनिक अंचल के लिए आरक्षित सैकटरों में भूमि उपयोग परिवर्तन तथा विकास केवल सरकार अथवा सरकारी उपकरण अथवा इस संबंध में सरकार द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक प्राप्तिकरण के साध्यम से किया जायेगा और इन सैकटरों में किसी कालोनी के विकास की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (2) उपर्युक्त खण्ड (1) के उपर्युक्त के होते हुए इसके इलाका भी सरकार किसी भी समय स्वयं या अपार्टमेंट वर्षित एजेंसियों द्वारा विकास हेतु किसी अन्य सैकटर को आरक्षित कर सकती है।

VIII. मुख्य सड़कों के लिए भूमि आरक्षण:-

- (i) ड्राईंग में चिन्हित की गई मुख्य सड़कों के लिए भूमि का आरक्षण नीचे दिए अनुसार किया जायेगा :

क्रम संख्या	वर्गीकरण	सड़क	सड़क की चौड़ाई
(i) वी - 1	पेरिफेरियल सड़क		60 मीटर
(ii) वी - 1 (ए)	झी. एच. एस. रोड राष्ट्रीय राजमार्ग के भीतर नगर पालिका सीमा	वर्तमान चौड़ाई तथा 60 मी. चौड़ी हरित पट्टी दोनों ओर नगर पालिका सीमा के बाहर	
(iii) वी - 1 (बी)	भटिण्डा-चौटाला रोड के भीतर नगर पालिका सीमा	वर्तमान चौड़ाई तथा 45 मी. चौड़ी हरित पट्टी नगर पालिका सीमा के बाहर	
(iv) वी - 2	मुख्य नगरीय सड़क		45 मीटर
(v) वी - 3	सैकटर सड़क		30 मीटर

नियंत्रित क्षेत्र के पास से गुजरने वाली सभी अनुसूचित सड़कों के साथ 45 मीटर चौड़ी हरित पट्टी तथा नगर पालिका सीमा के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 60 मीटर हरित पट्टी की व्यवस्था रखी गई।

- (2) अन्य सड़कों की चौड़ाई तथा सरेखण सैक्टर योजना के अनुसार या कालोनियों की अनुमोदित आमिदानीया योजना के अनुसार होगी।

IX. औद्योगिक अननुसूचित उपयोग:-

विकास योजना में औद्योगिक जोन से भिन्न जोन में दिखाये गये वर्तमान उद्योगों के संबंध में निदेशक द्वारा नियारित की जाने वाली नियत अवधि के लिए औद्योगिक अननुसूचित उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। इन्हुंने अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहते कि सच्चाद उद्योग स्थानीय।

- (क) उस स्थल को निदेशक द्वारा नियारित बाह्य विकास के लिए नियारित अनुपायिक प्रभारों को देने या वर्धन देता है जब उसे ऐसा करने के लिए कहा जायेगा; और
- (ख) अंतरिक अवधि के दौरान निदेशक की संतुष्टि के अनुसार मल निकास के लिए संतोषजनक व्यवस्था करें,
- (ग) अननुसूचित उपयोग के क्षेत्र में किसी प्रकार के विस्तार की अनुमति नहीं होगी।

X. अननुसूचित उपयोग बन्द करना :-

- (1) यदि किसी भूमि का अननुसूचित उपयोग दो वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए लगातार कद रख हो तो उसे समाप्त हुआ समश्या जायेगा और अनुमत उपयोग के अनुसार ही भूमि के पुनरुत्पयोग या पुनर्विकास की अनुमति दी जायेगी।
- (2) यदि अननुसूचित उपयोग अवन, आग, बाढ़, विस्फोट, झूकध्य, लडाई, दंगा या किसी अन्य प्राकृतिक घायला से पुनरुत्पादन मूल्य के 50 प्रतिशत या इससे अधिक घटियत हो जाता है तो उसे केवल अनुमत उपयोग के लिए पुनर्विकसित करने की अनुमति दी जायेगी।
- (3) छाड़ IX के अधीन नियत अवधि के समाप्त होने के बाद ऐसी भूमि के बाल अनुमत उपयोग के लिए पुनर्विकसित करने या उपयोग में लाने की अनुमति दी जायेगी।

XI. सैक्टर योजना और आंचलिक योजना के अनुसूचित विकास:-

विनियम-IX में प्रावधान को छोड़कर कोई युख्य भूमि उपयोग जिसमें भूमि विद्युपाता है, को भवन निर्माण परियोजनाओं उपयोग और विकासित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित उपयोग और विकास, सैक्टर योजना और आंचलिक योजना अथवा अनुमोदित कालोनी योजना में दिखाये गये व्यौरे के अनुसार न हो।

XII. अनुमोदित आमिदानीया या आंचलिक योजना का आग बनने वाले विशिष्ट प्लाट:-

- प्लाट पर भवन निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि-
- (i) प्लाट अनुमोदित कालोनी का आग न हो या प्लाट ऐसे क्षेत्र में न हो, जिसके लिए विनियम [VII] में उपलब्धित अनुसार छूट दी गई है; तथा
- (ii) निदेशक की संतुष्टि अनुसार प्लाट तक सड़क की व्यवस्था हो या सड़क बनी हो।

XIII. विभिन्न प्रकार के भवनों के प्लाटों का न्यूनतम आकार:-

- (1) विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए प्लाटों के न्यूनतम आकार नीचे दिए अनुसार होंगे:-
- | | |
|--|---------------|
| (i) रिहायशी प्लाट | 50 वर्ग मीटर |
| (ii) सरकार द्वारा अनुमोदित आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास या गढ़ी वस्तियों में रहने वालों के लिए आवास स्कीम में रिहायशी प्लाट | 95 वर्ग मीटर |
| (iii) दुकान एवं रिहायशी प्लाट | 100 वर्ग मीटर |
| (iv) शारिंग बूथ जिनमें सामने बरामदा या पत्थर व हैंट का पैदल मर्ग शामिल हो | 20 वर्ग मीटर |
| (v) स्थानीय सेवा उद्योग प्लाट | 100 वर्ग मीटर |
| (vi) छल्के उद्योग प्लाट | 250 वर्ग मीटर |
| (vii) मध्यम उद्योग प्लाट | 600 वर्ग मीटर |
- (2) 5 एकड़ भवन स्कीम के अधीन न्यूनतम क्षेत्र 5 एकड़ होगा, यदि वह लाईसेंस प्राप्त कालोनी का आग है और यदि यह स्वतंत्र स्पष्ट से विकासित किया जाता है, 10 एकड़ होगा।

XIV. विभिन्न प्रकार के भवनों के अन्तर्गत आमदादि क्षेत्र/ऊँचाई और अवस्था:-
स्वतंत्र रिहायशी और औद्योगिक प्लाट पर बनाये जाने वाले भवनों का निर्मित क्षेत्र और ऊँचाई नियमों के अध्याय VII में उल्लेखित उपबन्धों के अनुसार होगा। अन्य भवनों के मामले में विभिन्न नियम XVI के अन्तर्गत तथा जारी वाले वास्तुकला नियन्त्रण के अनुसार अधिकतम निर्मित क्षेत्र और ऊँचाई अनुसार होगा :-

क्रमांक	उपयोगिता क्रिस्य संख्या	भूमिकात्मक नियम का अधिकतम निर्मित क्षेत्र	अधिकतम ऊँचाई	विशेष कठन
1	सामुहिक आवास	35 %	175	
2	सरकारी कार्यालय	25 %	150	
3	वाणिज्यिक (क) एकीकृत नियम	40 %	150	सैक्टर के कुल प्लाट क्षेत्र का हिसाब लगाते समय वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल क्षेत्र की प्लाट योग्य क्षेत्र के रूप में समझा जाना है।
	(ख) व्यवितरण स्थल	100 %	300	इस सैक्टर के कुल प्लाट क्षेत्र की गणना के लिए उस वाणिज्यिक क्षेत्र के कुल लाट का नियमें यह योजना बनाई गई है, केवल 35 प्रतिशत क्षेत्र प्लाट योग्य क्षेत्र के रूप में समझा जाये।
4	भौंडार	75 %	150	

छान देने योग्य:-

भूगत तत्त्व अंचलिक योजना में अनुमोदित अनुसार अनुमत होगा। भूगत तत्त्व भण्डारण प्रयोजन के लिये उपयोग किया जायेगा।

XV. भवनों की अगाही और पिछली ओर व भुजा की ओर भवन पर्याप्ति :-
यह पंजाब अनुसूचित सहक तथा निर्धारित क्षेत्र अनियमित विकास नियमन 1965 के नियम 51, 52 तथा 53 के अनुसार उपबन्धित होती है।

XVI. वास्तुकला संबंधी नियमण:-

प्रत्येक भवन नियम 50 के अपनी हैरानी गये वास्तुकला संबंधी नियमण के अनुरूप होगा, परि पंजाब अनुसूचित सहक तथा निर्धारित क्षेत्र अनियमित विकास नियमन 1965 के अनुसार लागू है।

XVII. कृषि अंचल में भूमि उपयोग में ढील:-

कृषि अंचल में पहाड़ी किसी भूमि के मामले में सरकार इस विकास योजना के उपबन्ध में नियमित ढील ढील दे सकती है:-

(क) भूमि के आवासीय उद्देश्य औद्योगिक उपनिवेशन में उपयोग तथा विकास के लिए बाजारों के उपनिवेशक ने यह भूमि वास्तविक तिथि से पहले उत्त उपयोग एवं विकास के लिए खरीदी हो और उपनिवेशक नियमानुसार इस प्रयोजन के लिए अनुमति प्राप्त करता है।

(ख) व्यक्तिगत स्थल के रूप में भूमि के उपयोग के लिए (औद्योगिक कालीनी से मिल)

बाजारों कि:-

(i) वास्तविक तिथि से पूर्व भूमि खरीदी गई हो;

(ii) सरकार को संतुष्टि है कि उपयोग की जायश्यवादी इस प्रकार की है कि उपयुक्त अंचल में वैकल्पिक आवधन के नियतन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती;

(iii) भू-स्वामी, यथा अपेक्षित नियमों के अन्तर्गत अवृद्धि नहीं जब भी कभी मांग की जाये, अदा करने की प्रतिका करता है और अंतरिम उद्देश्य अंतरिम अवृद्धि के माल नियम 32 अंतोषजनक व्यवस्था करता है;

(iv) भू-स्वामी, नियमित ढारा नियमित अनुपायित नहीं जब भी कभी मांग की जाये, अदा करने की प्रतिका करता है और अंतरिम उद्देश्य अंतरिम अवृद्धि के माल नियम 32 अंतोषजनक व्यवस्था करता है।

व्याख्या:- विनियम में कट (खरीद) पद्धत का अर्थ पूर्ण स्थानिक अधिकारों को प्राप्त करना है तथा न कि पट्टानाम या कट देनु इकारानाम आदि।

XVIII. सधनता

प्रथेक आचारीय सैक्टर इसके लिए ड्राईंग में वर्षायी तथा निर्धारित सैक्टर सघनता के अनुसार विकसित किया जायेगा परन्तु सैक्टर की विहित सघनता में किसी भी और अधिक से अधिक 20 प्रतिशत की विभिन्नता की अनुमति होगी।

XIX. ग्रामीण

याधीण जोन में आबादी देह के बाहर कानून हाउस का विवरण :-

कार्य आवासीय इकाई का विवर भवन संख्या आवासीय इकाई का विवर

हाउस का अधिकारी अवासाव की अनुकूलता दर्शन

आकार

(ii) निर्धारित क्षेत्र व्यूनिट 2 जैसा कि 500 वर्गमील के राष्ट्रकक्ष एकड़ रिडियरी स्टाट के लिए लागू है।

3 एकमात्र जैसा कि 750 वर्गमीटर के समकक्ष - सम-
तक रिहायशी प्लाट के लिए लागू हैं।

4 एकड़ जैसा कि 1000 वर्गमील के समक्ष
तक और रिहायरी स्टाट के लिए लागू है। - सम -
आधिक

(ii) ऊंचाई तथा मंजिल 11 मीटर, 3 मंजिल 4 मीटर, एक मंजिल

(iii) दूरी:-
 कृषि भूमि के सभी किनारों से कम से कम 15 मीटर दूर रहते हैं कि यदि कार्म स्कॉस से सह
 है तो गृह का लिमिट सड़क के किनारे से कम से कम जीवि वी गई दूरी पर किया जायेगा:-

(क)	जहाँ सड़क अनुसूचित सड़क का बाईपास है	100 मीटर
(ख)	जहाँ सड़क अनुसूचित सड़क है	30 मीटर
(ग)	कोई अन्य सड़क	15 मीटर

(iv) पहुँच सड़क:-
कोई राजस्व रास्ता / सड़क जैसा की राजस्व रिकर्ड में चार्जेट है।

(v) तहखाना -
अधिकतर शूलत आच्छादन सीमा तक तहखाने के लिए अनुमति भी जरूरी, किन्तु तहखाने में श्रीसात्रय और स्वानंगह बनाने की अनुमति नहीं होती।

(vi) पुस्तकान् अटारी तथा परछती तत्त्वः-

पुस्तकाल, अटारी और परछती जल की अनुमति श्वन के पीतर उत्त प्रतिकर्षों और भाग-II में दी गई परिसाधा में दिये गये, प्रतिकर्षों के अत्तर्गत ही जायेगी।

(vii) सेवाये-जल आपूर्ति तथा जल निकासः-

(क) यदि फार्म गृह का निर्धारण किया जाता है तो फार्म में मानव उपयोग के लिए अच्छी पीठे योग्य जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं बहिरप।

(ख) डेरी कार्म के मामले में छायाचित्र

(ii) किया जाय, सभी घटनों के भावत्व में वर्षा के पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था की जरूरी है।

(७) नियमों के उपरका के अनुसार मनवी और पशुओं के मध्य निस्तारण के लिए मलाश्य की व्यवस्था की जाये।
 (८) मलाश्य और खुले कुएं अथवा गलकूप के बीच दूरी नियमों में उपबन्धित अनुसार होगी।

तस्कर और अधिकारी आवाजें अचल के उपर्युक्त उपयोग के लिए विषय संस्कार / राज्य अधिकारण द्वारा प्रायोगित किसी स्कै
लिए फार्म के न्यूनतम आकार में संशोधित कर दिया जाता है।

ମୁହଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ପାଇଁ ଏ ଅନ୍ତର୍ଦୟାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଦୟାନ କିମ୍ବା

300	औद्योगिक	
310	सेवा उद्योग	
320	हल्के उद्योग	
330	व्यापक उद्योग	
340	भारी उद्योग	
400	परिवहन तथा संचार	
410	रेलवे वार्ड, रेलवे स्टेशन तथा सहाइता	
420	सड़कें, सड़क परिवहन डिपो और पार्किंग क्षेत्र	
430	डाक वार्ड, जैली	
440	हवाई अड्डा / हवाई स्टेशन	
450	तार कार्बोलय, टैलीफोन एक्सचेंज आदि	
460	प्रसारण केन्द्र	
470	दूरध्वशन केन्द्र	
500	जल उपयोगिताएँ	
510	जल आपूर्ति संस्थापन नियमें शोधन संघर्ष भी शामिल है	
520	जल निकास और सफाई संस्थापनाएँ नियमें नियंत्रण कार्य भी शामिल है	
530	विजली संयंत्र उपस्टेशन आदि	
540	गैस संस्थापना और गैस कार्य	
600	सार्वजनिक और अर्थसरकारी	
610	सरकारी प्रशासन, केन्द्रीय संविधानसभा, जिला कर्पोरेशन, विधि व्यावसाय, जैल, पुलिस थाने, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति निवास	
620	शिक्षा, सांस्कृतिक और धर्मिक संस्थाएँ	
630	विकिता लय, राष्ट्रसभा संस्थाएँ	
640	युड्योट: गैर वाणिज्यिक किस्म के खियेटर आपेक्षा जैसी सांस्कृतिक संस्थाएँ	
650	रक्षा स्थानिक वाली भूमि	
700	खुले स्थान	
710	खेलबूद्धि, पैदान, स्टेडियम, क्रीड़ा पैदान	
720	पार्क	
730	हरित पट्टी, वाण तथा अन्य वनोंरेत्र संवर्धन उद्योग	
740	कब्रिस्तान, शमशान घाट आदि	
750	पेट्रोल एप्स स्टेशन तथा बस पैकेज शैल्पर	
800	कृषि भूमि	
810	मार्किट वार्डन	
820	फलोद्यान तथा नर्सियां	
830	ग्रामन फल के अन्तर्गत भूमि	
840	तराई भूमि तथा वरागाहे	
850	वन भूमि	
860	दलदल भूमि	
870	बजर भूमि	
880	जलमगन भूमि	

इनकालीन विभिन्न विभागों द्वारा नियमित रूप से विद्युतीकृत मिलियन
मिलियन रुपयों के लिए विवरण

III A

परिशिष्ट ख

I रिहायशी जोन

- (i) आवासीय
- (ii) बोर्डिंग हाउस
- (iii) सामाजिक, सामुदायिक, धार्मिक और आमोद प्रमोद भवन
- (iv) जन उपयोगिता भवन
- (v) शैक्षणिक भवन और सभी प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय, जहाँ आवश्यक हो
- (vi) सिनेमा
- (vii) वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यालय
- (viii) स्थानीय संस्थाएँ
- (ix) परचून की दुकानें और रैस्टर्स
- (x) स्थानीय सेवा उद्योग
- (xi) पैट्रोल पम्प
- (xii) बस स्टाप, तांगा, टैक्सी, ट्यूटर तथा रिक्शा स्टैंड
- (xiii) नर्सरियाँ और हरित गृह
- (xiv) रिहायशी उपयोग में अनुषंगी कोई अन्य छोटी-छोटी जरूरतें
- (xv) सितारा होटल
- (xvi) कोई अन्य उपयोग जिसके लिए सरकार लोकहित में निर्णय लें
- (xvii) साईंवर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

निदेशक द्वारा सैक्टर/ कालोनी की योजना में अनुमोदित स्थलों पर मुख्य उपयोग की स्थानीय जरूरतों तथा नगर की जरूरतों के अनुसार।

सरकार द्वारा तथा की गई नीति/पैरीसीटर्स के अनुसार।

II वाणिज्यिक जोन

- (i) परचून व्यापार
- (ii) थोक व्यापार
- (iii) भांडागार और भंडारण
- (iv) वाणिज्यिक कार्यालय और बैंक
- (v) रैस्टरां तथा परियन आदास गृह जिसमें धर्मशाला और पर्वटक गृह आदि रिहायशी स्थान प्रदान करने वाले सार्वजनिक सहायता संस्थान जैसे शामिल हैं
- (vi) सिनेमा, होटल, मोटल तथा अन्य स्थान तथा वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले और लोगों के इकट्ठा होने वाले स्थान जैसे थियेटर, क्लब, ड्रामा क्लब आदि
- (vii) व्यावसायिक संस्थापनाएँ
- (viii) प्रथम तथा उच्चतर मंजिलों पर निवास
- (ix) स्थानीय सेवा उद्योग
- (x) जन उपयोगिता भवन
- (xi) पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज
- (xii) माल चढ़ाने और उतारने वाले यार्ड
- (xiii) वाहन छड़े करने के स्थान, बस स्टाप, टैक्सी, तांगा और रिक्शा स्टैंड
- (xiv) नगर पार्क
- (xv) कोई अन्य उपयोग जिसके लिए लोकहित में निदेशक निर्णय ले सकता है

जैसा कि मुख्य उपयोग की स्थानीय जरूरतों और सैक्टर योजना में उनके लिए निर्धारित स्थलों पर या कालोनियों की अनुमोदित अधिविन्यास योजनाओं में अपेक्षित है

III औद्योगिक जोन

- (i) हल्के उद्योग
- (ii) मध्यम उद्योग
- (iii) अहितकर और खतरनाक उद्योग
- (iv) भारी उद्योग
- (v) सर्विस उद्योग
- (vi) भांडागार और भंडारण
- (vii) पार्किंग, माल चढ़ाने और उतारने वाले क्षेत्र

सैक्टर या कालोनियों की अनुमोदित अधिविन्यास योजना में उनके लिए निर्धारित स्थलों पर।

	(viii) ट्रक स्टैंड / बस स्टाप, टैक्सी तांगा और रिक्षा स्टैंड (ix) जन उपयोगिता समुदायिक भवन और परचून की दुकानें (x) पैट्रोल पम्प तथा सर्विस गैरेज (xi) निदेशक द्वारा अनुमति लिक्वीड पैट्रोलियम गैस गोदाम (xii) निदेशक द्वारा अनुमति अन्य उपयोग (xiii) साईबर पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी पार्क / सूचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक इकाइयां	
IV	परिवहन तथा संचार जौन	
	(i) रेलवे यार्ड रेलवे स्टेशन और सार्फिंग (ii) परिवहन नगर, सड़कें और परिवहन, डिपो और पार्किंग क्षेत्र (iii) हवाई अड्डा और हवाई स्टेशन (iv) तार धर और टेलीफोन कार्यालय (v) प्रसारण केन्द्र (vi) दूरदर्शन केन्द्र (vii) अनुमोदित स्थलों और स्थानों पर कृषि बागवानी और नर्सरियां (viii) पैट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज (ix) पार्किंग स्थल, बस स्टाप/शैल्टर, टैक्सी, टांगा और रिक्षा स्टैंड	सैक्टर योजना में निर्धारित स्थलों पर।
V	जन उपयोगिताएं जौन	सैक्टर योजना में निर्धारित स्थलों पर।
	(i) जल सप्लाई, स्थापना इसमें शोधन संयंत्र भी शामिल हैं (ii) जल निकास और सफाई स्थापनाएं इसमें निपटान कार्य भी शामिल हैं (iii) इसैक्ट्रिक पावर प्लांट तथा सबस्टेशन में ग्रिड सब स्टेशन भी शामिल हैं (iv) गैस स्थापना तथा गैस वर्क्स	
VI	सार्वजनिक तथा अधिसार्वजनिक उपयोग अंचल	
	(i) सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रशासन केन्द्र, सचिवालय और युलिस थाना (ii) शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं (iii) धिकित्सा स्वास्थ्य संस्थाएं (iv) नागरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएं जैसे कि खियेटर, ओपेरा हाउस जो कि मुख्यतः नैर वाणिज्यिक किस्म के हैं। (v) रक्षा स्वामित्व वाली भूमि (vi) कोई अन्य उपयोग जिसके संबंध में सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया हो	
VII	खुले स्थान	निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हारियाणा द्वारा अनुमोदित स्थलों पर।
	(i) खेलकूद मैदान, स्टेडियम तथा खेल मैदान (ii) पार्क तथा हरित पट्टी (iii) कल्ड्रिस्टान, शमशान घाट आदि (iv) निदेशक की अनुमति से सड़कों के साथ पैट्रोल पम्प, बस पर्किंग शैल्टर (v) निदेशक की अनुमति से कोई अन्य मनोरंजन संबंधी उपयोग। (vi) अनुसूचित सड़कों एवं मुख्य सड़कों के साथ हरित पट्टी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसा कि प्रेषण लाईनें, संचार लाईनें, जल आपूर्ति, सीवरेज लाईनें, इनेज लाईने	
VIII	बिल्कुल निषिद्ध उपयोग	
	उचित लाइसेंस के बिना पैट्रोलियम और अन्य प्रज्ञवलनीय सामग्री का भंडारण	

PART I	HARYANA GOVT. GAZ., JAN. 10, 2006 (PAUS. 20, 1927 SAKA)	79
XX. विकास योजना में छीलन- सरकार अत्यन्त कठिनाई की दशा में अथवा बास्तविक विधि से पूर्य निर्धारित दिसी दार्त्यों को बचाने यह पृष्ठे तो किवद्दस्त प्रयारों के भुगतान पर और ऐसी अन्य शर्तों पर वह लगाना उचित, समझे, समाज तथा न्याय के सिद्धान्त पर विकास योजना के किसी भी उपबन्धों में छील दे सकती है।		
XXI. सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां एवं साईबर पार्क / साईबर सिटी के लिए उपलब्ध- सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयां एवं साईबर पार्क / साईबर सिटी के लिए उपलब्ध-		

261

अनुसूचित वर्चन में अद्यतियत होते हैं।

IX	कृषि जोन	
(i)	कृषि, बागवानी, डेरी और मुर्गी पालन	
(ii)	टावादी देह में गांव घर	
(iii)	अंचल विनियम XIX में निर्धारित प्रतिबन्धों के अध्यधीन आबादी देह के बाहर फार्म हाउस	
(iv)	वन रोपण विकास तथा अमोद प्रमोद के लिए उसका कोई भाग	
(v)	आबादी देह के समीप वर्तमान गांव का विस्तार यदि यह परियोजना, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना हो	
(vi)	दुर्घ अवशीतन केन्द्र और पैसव्यूरीकरण केन्द्र	
(vii)	बस अड्डा और रेलवे स्टेशन	
(viii)	अनिवार्य घबरों सहित हवाई अड्डा	
(ix)	बेतार केन्द्र	
(x)	निदेशक द्वारा अनुमोदित स्थलों पर अनाज गोदाम, भंडारण स्थल	
(xi)	मौसम कार्यालय	
(xii)	भू-जल निकास और सिंचाई, पन बिजली केन्द्र और सिंचाई के लिए नलकूप	
(xiii)	टेलीफोन और बिजली प्रेषण लाइनें और खास्ते	
(xiv)	नियम के अधीन रहते हुये तथा अनुमोदित सिलों पर खनन तथा उत्खनन कार्य जिसमें चूना तथा इंटी के भट्टे पथर खादाने और क्रेषिंग शामिल हैं।	
(xv)	शमशान और कब्रिस्तान	
(xvi)	पेट्रोल पम्प और सर्विस गैरेज	
(xvii)	पन बिजली/थर्मल विजली संयंत्र थर्मल उपकेन्द्र	
(xviii)	निदेशक के अनुमोदन से लिंकवीड पेट्रोलियम गैस भण्डारण गोदाम	
(xix)	(क) रुल इण्डस्ट्रीज स्कीम/स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज यूनिटों के रूप में पंजीकृत प्रदूषण रहित उद्याग बशर्ते कि वे निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करें :	
	(i) वर्तमान गांव आबादी के आसपास की पट्टी के आधे किलोमीटर में स्थित हो और अनुसूचित सड़कों, राजमार्ग और राज्य अनुसूचित राजमार्ग से यिन किसी सार्वजनिक सड़क/रास्ते द्वारा उस तक पहुंचा जा सकता हो	
	(ii) सार्वजनिक सड़क/रास्ते पर जो कम से कम 30 फुट चौड़े हों, अनुसूचित सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से यिन उक्त पद्ध में उल्लेखित आवा कि.मी. की जोन से बाहर पहुंच सड़क के साथ-साथ 100 मीटर के अन्दर की ओर	
	(iii) दो एकड़ तक के क्षेत्र के साथ	
	(ख) यह स्थल रक्षा स्थापनाओं के चारों ओर की 900 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में नहीं आना चाहिए	
(xx)	माईक्रोवेव स्तूप/स्टेशन, भूकम्प केन्द्र तथा दूरसंचार केन्द्र	
(xxi)	राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ छोटे रैस्तों तथा मोटल्स	
(xxii)	कोई अन्य उपयोग जिसके लिए सरकार लोकहित में निर्णय ले सकती है	

परिशिष्ट-१

अ	सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की क्षेत्र/परिमाण में सम्मिलित की गई उद्योग की श्रेणी कम्प्यूटर डिवाइसेज के अन्तर्गत :
	डैस्ट्रिप
	पर्सनल कम्प्यूटर्स
	सर्विसेज
	वर्क स्टेशन
	नोड्स
	टरमिनल्स
	नैटवर्क पी.सी.
	होम पी.सी.
	लैपटॉप कम्प्यूटर्स
	नोट बुक कम्प्यूटर्स
	पापटोप कम्प्यूटर्स/पी.डी.ए.
आ	नैटवर्क कंट्रोलर कॉर्ड/मेमोरी के अन्तर्गत :
	नैटवर्क इन्टरफ़ेस कार्ड (एन.आई.सी.)
	एडोप्टर इथरनेट/पी.सी.आई./इ.आई.एस.ए./कोम्पो/पी.सी.एम.आई.सी.ए.
	एस.आई.एम.एम.मेमोरी
	डी.आई.एम.एम.मेमोरी
	सैन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट(सी.पी.यू.)
	कन्ट्रोलर एम.सी.आई. / ऐरे
	प्रोसेसर का प्रौसेसर / प्रोसेसर पावर मोड्यूल / अपग्रेड
इ	स्टोरेज यूनिट्स के अन्तर्गत :
	हार्ड डिस्क ड्राइव्स/हार्ड ड्राइव्स
	आर.ए.आई.डी. डिवाइसिस एवं उसके कन्ट्रोलर
	फ्लोपी डिस्क ड्राइव
	सी.डी. रोम ड्राइव
	टेप ड्राइव्स डी.एल.टी. ड्राइव्स/डी.ए.टी.
	ओपटीकल डिस्क ड्राइव
	अन्य डिजीटल स्टोरेज डिवाइज
ख	अन्य :
	की बोर्ड
	मोनीटर
	माऊस
	मल्टीमीडिया किट्स
उ	प्रिन्टर एवं आऊटपुट डिवाइसिस के अन्तर्गत :
	डोट मैट्रिक्स
	लेजरजेट
	इन्कजैट
	एल.ई.डी. प्रिन्टर्स
	लाइन प्रिन्टर्स
	प्लाटर्स
	पास बुक प्रिन्टर्स
ऊ	नेटवर्किंग उत्पाद :
	हब्ज
	रूटर्स
	स्विचिंस
	कोन्सनट्रेटर्स
	ट्रांसरिभिंसर्स

ए	<p>सोफ्टवेयर के अन्तर्गत :</p> <p>एलीकेशन्स सोफ्टवेयर आपरेटिंग सिस्टम मिडल वेयर/फर्म वेयर कम्प्यूटर सिस्टम के लिए लगाने वाला पावर सप्लाई के अन्तर्गत :</p> <p>त्रिव्यु मोड पावर सप्लाई अनइन्टरिट्ड पावर सप्लाई नेटवर्किंग/कैबलिंग एवं उपर संबंधित भाग : (सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से संबंधित)</p> <p>फाइबर केबल कोपर केबल केबल्स कनैक्टर्स, टर्मिनल ब्लाक जैक पैनल्स, पैच कोर्ड मार्जिटिंग कोर्ड / वायरिंग ब्लाक सरफेस माउट बक्से</p> <p>कन्प्यूटर्स के अन्तर्गत :</p> <p>सी.डी.रोम/कन्पैक्ट डिस्क फ्लोपी डिस्क ट्रैष्ट डी.ए.टी./डी.एल.टी.</p> <p>रिबन्स</p> <p>टोनर्स</p> <p>इन्कजैट कारटेजिस</p> <p>आऊटपुट डिवाइसिस को लगाने वाली इंक</p> <p>इलीक्रोनिक कम्पोनेन्ट :</p> <p>प्रिंटर सर्किट बोर्ड/पायोट्रोट पी.सी.बी. प्रिंटर सर्किट बोर्ड/पी.सी.बी.</p> <p>ट्रांजिस्टर्स</p> <p>इन्ट्रिग्रेटेड सर्किट्स/आई.सी.एस. डायोड्स/थार्डिस्टर/एल.ई.डी.</p> <p>रेसिस्टर्स</p> <p>केपेसिटर्स</p> <p>स्लिचिस (आन/आफ, पुश बटन्श, रोकर्स इत्यादि)</p> <p>स्लाग्स/सोकेट्स/रिलेज मेगनेटिक हेड्स, प्रिन्ट हेड्स</p> <p>कनेक्टर</p> <p>मार्डिकोन्स/स्पीकर्स</p> <p>फ्लूजिस</p> <p>टैलीकायूनिकेशन इन्वीपमेन्ट के अन्तर्गत :</p> <p>टैलीफोन विडियो फोन फसी मार्डिल मशीन/फैक्स कार्ड टैली प्रिन्टर/टैलेक्स मशीन पी.ए.बी.एक्स./ई.पी.ए.बी.एक्स./आर.ए.एक्स./एम.ए.एक्स. टैलीफोन एक्सचेंज</p> <p>मल्टीलोक्सर्स/भ्लूजिस</p> <p>मीडियस</p> <p>टैलीफोन आन्सरिंग मशीन</p> <p>टैलीकायूनिकेशन्स स्वीचिंग एपरेटर्स</p> <p>एन्टेना एण्ड मास्ट</p> <p>वायरलैस डेवाकोम इन्वीपमेन्ट</p> <p>रिसीविंग इन्वीपमेन्ट लाईक पेजर्स, मोबाइल/सैल्यूलर फोन इत्यादि</p> <p>वीडियो कॉन्फोरेंसिंग इन्वीपमेन्ट</p>
ऐ	
ओ	
अं	
अ:	

- क वीडियो एवं डिजिटल सिंगलिंग के लिए लगाने वाले सैट टाप बनाई के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी को समर्थ बनाने वाली सेवायें वह व्यवसायिक किया एवं सेवाये हैं जिसके अन्तिम उत्पाद/सेवाये जिनके :-
- भारत से बाहर वितरित करने के लिए;
 - संचार-जात के लिए वितरित करने के लिए; तथा
 - या तो बाहरी ठेके (बाहरी स्वोत) या उस कम्पनी के सुदूर गोण द्वारा उपलब्ध किया हुआ (बाहर स्थित)

टिप्पणी :-

जो सेवाएं इनमें शामिल नहीं हैं, वह :

- (1) सुर उत्पादन/निर्माण इकाइयाँ
- (2) कम्पनियों के नियमित कार्यालय अथवा उनकी स्थानीय शाखाएं
- (3) इन्टरनेट पर वास्तविक व्यवसाय

निम्नलिखित सेवाएं उपरोक्त दिये गये मापदण्ड यदि पूर्ण करते हैं तो उन्हें सम्मिलित किया जायेगा :

- (i) बैंक ऑफिस आप्रेशन्स
- (ii) काल सैन्टरज
- (iii) कोन्टैन्ट डिवैल्पमैन्ट अथवा एनीमेशन
- (iv) डाटा प्रोसेसिंग
- (v) अधियान्त्रिकी एवं रचना
- (vi) ज्योग्राफिक इन्फोरमेशन सिस्टम सर्विसिंज
- (vii) मानव संसाधन सेवायें
- (viii) बीमा दाता निपटान क्रम
- (ix) लीगल डाटा बेस
- (x) मैडीकल ड्रान्सक्रिप्शन
- (xi) पे-रोल
- (xii) सुदूर रख-रखाव
- (xiii) राजस्व लेखे
- (xiv) सप्पोर्ट सेन्टरज तथा
- (xv) वैब-साइट सर्विसेज़ ।

शकुंतला जाख्,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।